भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1865

(दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए)

चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024

1865. श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंतः
श्री मुरारी लाल मीनाः
श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः
श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 के अंतर्गत बोर्ड की बैठक हर तिमाही में एक बार जरूर होनी चाहिए, जबकि पिछली बोर्ड बैठक छह साल से भी अधिक समय पहले अगस्त 2019 में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करके मंत्रालय को प्रस्तुत करने के नियम के बावजूद, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की वेबसाइट पर पिछली वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016-17 की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सीबीएफसी का पिछली बार वर्ष 2017 में पुनर्गठन तीन वर्ष हेतु किया गया था जिसका कार्यकाल वर्ष 2020 में समाप्त हो गया, इसके मद्देनजर उक्त बोर्ड किस विधिक अधिकार के तहत वर्तमान में कार्य कर रहा है और नए बोर्ड के गठन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बोर्ड के औपचारिक पुनर्गठन किए बिना ही व्यपगत बोर्ड के माध्यम से उक्त अवधि के दौरान वित्तीय व्यय की संपरीक्षा कराई है और प्रमाणन-संबंधी निर्णय लिए हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान सीबीएफसी द्वारा समाज में हानिकारक सामग्री के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत किया गया है, इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा यह चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 के नियम 3 के अनुसार कार्य करता है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों के साथ अपनी बैठकें ऑनलाइन आयोजित करता है। वर्ष 2017 से, प्रमाणन वर्कफ़्लो को ई-सिनेप्रमाण ऑनलाइन प्रमाणन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मुख्यत: डिजिटल बना दिया गया है, जिसके द्वारा से आवेदनों की प्रस्तुति, उनकी प्रक्रिया तथा अनुमोदन ऑनलाइन किए जाते हैं। जांच एवं पुनरीक्षण समितियों की बैठकें प्रस्तुत की गई फिल्मों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं, ताकि समयबद्ध प्रमाणन सुनिश्चित किया जा सके।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 तथा उनके अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू श्रेणियों–यू, यूए (यूए मार्कर सहित), ए एवं एस जैसा लागू हो, के तहत फिल्मों का प्रमाणन करता है और प्रमाणन चरण पर आवश्यक जांच के माध्यम से हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकता है तथा जहाँ आवश्यक हो, कटौती या संशोधन के निर्देश भी जारी करता है।

सीबीएफसी प्रत्येक वर्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह सूचना मंत्रालय की समेकित वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाती है, जिसे नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है और मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की आवधिक लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती हैं।
